

पत्रांक 10/न्यू-12/2004मा 10-77-

बिहार राज्यालय
मानव राज्यालय किंवा पिण्डा

प्रैष्ठ

श्री हेमचन्द्र जा.
राज्यालय के तथा उपकारी सचिव।

संघाम,

तात्पर्य,
तैन्दूल बोड अौफ लैकेन्ट्री स्लकेश्वान, पटना-३११००५०
जूड़िका केन्ट कम्पोनेटो लैन्टर, पांत बिहार
पिण्डा मार्ग, नई दिल्ली-११००९२

विषय:-

पटना, दिनांक 18 मार्च 2005
राज्य के निजी विद्यालयों के तैन्दूल बोड अौफ लैकेन्ट्री स्लकेश्वान,
नई दिल्ली से सम्बद्धता देतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र किंतु करने के
रायित में।

महाराजा,

निदेशालयार उपर्युक्त विषय के और आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए
कहा है कि दिनांक 7-12-2004 को निजी विद्यालयों के अनापत्ति प्रमाण-पत्र
निर्गत किए जाने के तात्पर्य में उच्चस्तरीय समिति की बैठक में तात्परीमति से तिए गए
निर्णय के आलोक में निम्नांकित निजी विद्यालयों को सीधी ०१००००००००००, नई दिल्ली
से सम्बद्धता देतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र इस रूप्ता के तात्पर निर्गत करने का निर्णय
लिया गया। कि उन्हें सम्बद्धता प्राप्त होने वे बाद राज्यालय के विद्यालय के
प्राक्षक/प्राक्षकेतर कमियों के समकक्ष प्रेतनाटि का भुगतान विद्यालय के प्राक्षक/प्राक्षकेतर
कमियों को करना होगा।

११०

पौ००१० हाई स्कूल, पटना, समस्तीपुर

१२१

डी०१००भी० पञ्चिक स्कूल, दाउदनगर, ओरंगाबाद

१३१

हेरो इंगिलिश स्कूल, विद्यापति चौक, कट्टलयाडी, दरभंगा

१४१

अररिया पञ्चिक स्कूल, अररिया

१५१

फिलेन्ट पञ्चिक स्कूल, पूर्णियों

१६१

बुलियेन्ट पञ्चिक स्कूल, पुरानी विजलो कालोनी, जहानाबाद

१७१

डी०१००भी० पञ्चिक स्कूल, मानपुर, कदम्पा, गया

१८१

जयहिन्द पञ्चिक स्कूल, विज्ञाननगर, गया डीभीरोड, बोधगया

१९१

टी०१० रजा हाई स्कूल, बी०१०० दास रोड, पटना

२०१

झानस्की हाई स्कूल, आलमगज चौकी, पटना

२११

सरा०१००डी०१०१० कैन्येन्ट स्कूल, यादनी चौक, झैखपुरा

२२१

सेट माइकेला स्कैडमी। कम्ब इंगिलिश मीडियम, कमलनाथनगर, खेतिया

२३१

बुद्धा पञ्चिक स्कूल ४३, अरामोकनगर, गया

२४१

लीड्स एसियन स्कूल स्कैडमा नहर चौक, लैली रोड, पटना

विद्यारामाजन,

१५४१५५३
सरकार के तथा उपकारी सचिव।

प्रिया नितीन नाथ

कृपा।

R.K.J.
CHAIRMAN
LEED'S FOUNDATION
PATNA

कापाक

-2-

पटना, दिनांक मार्च 2005

प्रतिलिपि राखीथित जिला पटाखियारी/राखीथित ईश्वरीय विधा उप निदेशालय/राखीथित जिला विधा पटाखियारी/राखीथित विद्यालय के प्रावार्थ को सूचनार्थ एवं आपद्यक काषार्थ प्रैषित ।

2- ईश्वरीय गुनवत्ता को सुनिश्चित करने हेतु विभाग द्वारा प्रतिवर्ष कम-से-कम एक बार विद्यालय का निरीक्षण किया जाएगा ।

3- निम्नांकित परिस्थितियाँ में विद्यालय को निर्वाचनापत्रित प्रमाण-पत्र निरस्त/वापरा तेज़ की कार्रवाई द्वारा द्वारा की जा सकती है:-

१.वा। विद्यालय द्वारा विद्यालय के विधान/विधानोत्तर कार्यालय के राज्य राज्यकार के विद्यालय के कार्यालय के समक्ष पैलान एवं भत्ते जगद का मुगलाज नहीं किया जा रहा है अथवा मुगलाज में अधिक विकास विकास कर रहा है तो ।

१.ख। अनापत्रित प्रमाण-पत्र के लिए सभापति कागजात एवं अभियुक्त जाती पाये जाने अथवा वास्तविक स्थिति ने भिन्न होने पर,

१.ग। विद्यालय में वित्तीय अनियमितता की जा रही है अथवा जिस मद के लिए राज्य की व्यवस्था हो अथवा दूसरे मद में व्यवस्था जो रहा हो,

१.घ। विद्यालय ऐसी गतिविधि में तलाज्ज्ञ हो जो राज्य के हित स्वीकृत राज्य द्वारा द्वारा व्यवस्थी गयी नियमों के विवर हो एवं ऐसी कार्रवाई की जा रही हो जिसमें समाज में विभिन्न सौतापठों के बीच कटूता पैदा हो;

१.य। ती०बी०स्स०इ० मापदण्ड के अनुरूप भवनों में ती०बी०स्स०इ० मापदण्ड के अनुरूप विद्यालयों को राखीय नियमों के विवर हो एवं ऐसी कार्रवाई की जा रही हो जिसमें समाज में विभिन्न सौतापठों के बीच कटूता पैदा हो;

कापाक १५ पटना, दिनांक १८.३.०५ प्रतिलिपि संविधि, निदेशालय/प्राप्ति०१/विद्यालयप्राप्ति०१/रायुक्त संविधि मानवरत्तीपत्र विधान, विधान, पटना को सूचनार्थ प्रैषित ।

कापाक १५ पटना, दिनांक १८ मार्च 2005 प्रतिलिपि मानवीय भवन/राज्य भवन/प्राप्ति०१ एवं मानव संशोधन विधान, विधान, पटना को सूचनार्थ प्रैषित ।

राज्यकार के रायुक्त संविधि ।